रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 427] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 19, 1971/श्रावण 28, 1893

No. 427] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 19, 1971/SRAVANA 28, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

28/1/72

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 19th August, 1971

S. O. 3028/18A/IDRA/71.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notified Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development and Company Affairs (Department of Industrial Development) No. S. O. 3091/18A/IDRA/67, dated the 2nd September, 1967 (as amended from time to time), namely :—

In the said Order,—

(a) in paragraph 1, for the words and brackets "the body of persons (in this Order referred to as the Board of Mangement)" the words "the Uttar Pradesh State Sugar Corporation Limited" shall be substituted ;

(b) for paragraph 2, the following paragraph shall be substituted, namely:—

"2. The Central Government may issue from time to time such direction, as it may consider necessary, in respect of appointment of supervisory and executive staff and their salary and allowances, and pension contributions of the Government servants employed in connection with the management of the Industrial Undertaking." ;

(c) paragraphs 3 and 4 shall be omitted and paragraph 5 shall be re-numbered as paragraph 37.

[No. F. 9 (1) Lic. Pol./67]

S. K. SAHGAL Jl. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1971

का० आ० 3028/18ए/आई०डी०आर० ए०/71.—उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास और कम्पनी कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के (समय समय पर यथा संशोधित) अधिसूचित आदेश सं० का आ० 3091/18ए/आई डी आर ए/67, तारीख 2 सितम्बर, 1967 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश में,—

(क) पैरा 1 में "व्यक्ति निकाय (जिसे इस आदेश में प्रबन्ध बोर्ड कहा गया है)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर "उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कार्पोरेशन लिमिटेड" शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे।

(ख) पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"2. केन्द्रीय सरकार समय समय पर ऐसे निदेश जारी कर सकती है, जिन्हें वह पर्यवेक्षण और कार्यपालक कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति और उनके वेतन और भत्तों, तथा औद्योगिक उपक्रम के प्रबन्ध के संबंध में नियोजित सरकारी सेवकों के पेंशन अभिदायों के बारे में आवश्यक समझें।"

(ग) पैरा 3 और 4 लुप्त कर दिए जायेंगे और पैरा 5, पैरा 3, के रूप में पुनः संख्याकित किया जाएगा।

[सं० फा० 9(1)/एलआईसी० पी० ओएल/67]

एस० के० सहगल, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971